(c) In Tamilnadu 8 projects (6 old and 2 under new Guidelines) under Integrated Wastelands Development Project Scheme. 21 projects under Support to NGOs/VAs Scheme, 8 projects under Technology Development Extension & Training Scheme and 3 projects under Investment Promotional Scheme have been sanctioned up to 31.3.98.

कच्छ जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप से पहचान किया जाना

1629. **श्री गोपाल सिहं जी सोलंकी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े जिलों को पहचान के मानदंड और उनके अंतर्गत विहित प्रावधान क्या है,

(ख) क्या इस संबध में किसी समिति का गठन किया गया है,

(ग) क्या सरकार ने गुजरात के कच्छ जिले को औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला घोषित करने के लिए हाल ही में कोई अध्यादेश जारी किया है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा घोषित ऐसी कौन-कौन-सी योजनाएं है जिनका लाभ उक्त जिले को प्राप्त होगा और किन उपबंधों के अंतर्गत विशेष सहायता प्रदान की जायेगी ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) प्राप्त सूचना के अनुसार औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए 11.05.94 को काव समिति गठित की गई थी। पहले अध्ययन समूह की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा दूसरा अध्ययन समूह गठित किया गया था। इन पिछड़े जिलों की पहचान करने के लिए सुझाए गए मानदंड के ब्यौरे और की गई सिफारिशें विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ग) प्राप्त सूचना के अनुसार आय कर अधिनियम औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के लिए आय कर अधिनियम के खंड 80 अंक के अन्तर्गत वित्तीय प्रोत्साहन का प्रावधान करता है । गुजरात राज्य में डाग्स को श्रेणी "ए" का औद्योगिक रूप से पिछड़ा जिला माना गया है, बनासकांठा और साबरकांठा जिलों को श्रेणी "बी" के पिछड़े हुए जिले माने गए है।

(घ) प्राप्त सूचना के अनुसार उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने गांधीराम (जिला कच्छ), पालनपुर (जिला बनासकांठा) और वागरा (जिला भड़ौच) स्थित तीन संवर्धन केन्द्रों को अनुमोदित कर दिया है । इन संवर्धन केन्द्रों में से प्रत्येक केन्द्रों को राज्य द्वारा सरकार द्वारा कार्यान्वयन की स्थिति और प्रगति के आधार पर अधिकतम 10 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा सकती है।

विवरण

पिछड़े जिलों का पता लगाने के लिए काव समिति द्वारा निम्नलिखित मानदंड अपनाए गए अर्थात्

(अ) वित्तीय मानदंड

- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया प्रति व्यक्ति ऋण।

-अनुसूचित वाणिज्यिक बैंको द्वारा प्राप्त प्रति व्यक्ति जमा राशि।

(ब) ढांचागत मानदंड

- प्रति हजार जनसंख्या में टेलीफोन।

- प्रति व्यक्ति बिजली की खपत।

-शहरीकरण (कुल जनसंख्या के अनुपात में जिले की शहरी जनसंख्या)

-प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पक्की सड़कें।

(ग) औधोगिक मानदंड

-प्रति हजार जनसंख्या में पंजीकृत फैक्ट्रियों में श्रमिक (विद्युतीय उपक्रमों और बीड़ी और सिगार इकाइयों को छोड़कर)

- पंजीकृत विनिर्माण क्षेत्र से प्रति व्यक्ति सकल वर्द्धित मूल्य (विद्युतीय उपक्रमों और बीड़ी तथा सिगार इकाइयों को छोड़कर)

शंकर एन.अचार्य ग्रुप पहले दिए गए सुझाव के अनुसार राष्ट्रीय औसत के आधार पर तुलना करने की सुविधा के लिए उपयुक्त भार का इस्तेमाल करते हुए सूचकांक को एक मिश्रित अनुक्रमणिका में मिला दिया गया था।

दूसरे समूह ने पता लगाया (कोई समूह जिसका कुल मिश्रित सूचकांक 1500 के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 250 अथवा उसमें कम था,को पिछड़े जिले के रूप में अधिसूचित किया जाना था। समूह ने यह भी सिफारिश की कि विशेष श्रेणी वाले जिलों, कोई रेल सेवा है अथवा जो दुर्गम

पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित है, पर विशेष रूप से विचार किए जाने की जरूरत है । इन विशेष रूप से अलग रखे गए जिलों के लिए सीमांत सूचकांक 500 अर्थात राष्ट्रीय औसत का एक तिहाई रखा गया था । (ii) समूह ने "बिना उद्योग वाले जिले" से संबधित पूर्व अध्ययन समूह की सिफारिशों को स्वीकार किया और यह सिफारिश की कि बिना उद्योग वाले जिलों कों, उनके मिश्रित सूचकांक पर विचार किए बिना कर में छूट देने के उद्देश्य से पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है ।

समीक्षा अध्ययन समूह ने अपनी रिपोर्ट में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में 53 जिलों की सिफारिश की । यह निर्णय लिया गया कि इन 53 जिलों को धारा 80-1 (क) के अंतर्गत कर के पूर्ण छूट दी जाए । आगे यह भी महसूस किया गया है 251 – 500 के बीच भारित सूचकांक में आने वाले 70 जिलों को भी अल्पावधि अर्थात् 3 वर्ष के अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाए । औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों अर्थात 53जिलों को पूर्व श्रेणी को श्रेणी "क" जिलों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया । इन जिलों को 5 मूल्यांकन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए लाभ की शत-प्रतिशत कटौती और 5 वर्षों की बकाया अवधि के लिए 25% (कंपनियों के मामले में 30%) की अनुमति दी गई थी । श्रेणी "ख" 70 श्रेणी "ख" जिले अर्थात् 251 – 500 के बीच मिश्रित भारित सूचकांक वाले जिलों के मामले में 3 मूल्लांकन वर्षों की प्रारंभिक अवधि के लिए लाभ की शत-प्रतिशत कटौती और बकाया 5 वर्षों की अवधि के लिए 25% (कंपनियों के मामले में 30%) की अनुमति देने का निर्णय लिया गया था ।

मध्य प्रदेश के गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना

1630. **श्री राघवजी :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश के ऐसे गांवों का जिलेवार ब्यौरा क्या है जिन्हें पक्की सड़कों से जोड़ा नहीं गया है,

(ख) सड़क विहीन गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए केन्द्रीय सरकार की क्या योजना है, और :

(ग) मध्य प्रदेश राज्य के सभी गावों को पक्की सडकों से कब तक जोड दिया जाएगा ?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील) : (क)से (ग) गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ना राज्य के विषय है । तथापि, आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) में 1000 और उससे अधिक की आबादी वाले सभी गांवों को ग्रामीण सड़क कार्यक्रम के अंतर्गत योजना के अंत तक पक्की सड़कों से जोड़ने की परिकल्पना की गई है ।

Drinking water in Kandla Tree trade zone

1631. SHRI ANANTRAY DEVSHANKER DAVE: Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether there is an acute shortage of drinking water in Kandla Free Trade Zone for a long time;

(b) whether this matter has also been taken up by the Government of Gujarat with Union Government; and

(c) if so, the steps taken by Government in this rccgard alongwith further programme?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI BABAGOWDA PATIL): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) Central assistance is provided lo supplement the efforts of the State Government for providing drinking water to all the habitations of the Slate. Government of Gujarat has informed that Rs. 97.87 lakh has been sanctioned for augmentation of water supply to Kandla Free Trade Zone.

Unemployment among women folk

1632. SHRI PARAG CHALIHA:
SHRI GOVINDRAM MIRI:
SHRI SHIV CHARAN SINGH:

Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether any survey has been made to ascertain the degree of unemployment among the rural women folk, both tribal and non-tribal area of each of States, during the preceding five years or so;

(b) if so, the result thereof and action taken thereon; and